


अति अल्पकालीन निविदा सूचना


जिला पंचायत, मेरठ के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि शासन से प्राप्त अनुदान के अन्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्य के टेंडर दिनांक 14-7-21014 को समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं जो उसी दिन उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष अपराह्न 3 बजे टेंडर समिति द्वारा खोले जायेंगे। टेंडर फार्म निर्धारित शुल्क जमा कर जिला पंचायत, मेरठ के निर्माण विभाग से उसी दिनांक को दोपहर 1 बजे तक क्रय किये जा सकते हैं। निर्माण कार्य का पूर्ण विवरण किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला पंचायत, मेरठ में एंव जनपद की वैबसाईट [http:// meerut.nic.in](http://meerut.nic.in) से डाउन लोड कर देखा व क्रय किया जा सकता है, ऐसे ठेकेदार जो सीधे वैबसाईट से टेंडर फार्म क्रय करना चाहते हैं वे अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, मेरठ पद नाम से टेंडर शुल्क का बैंक ड्राफ्ट बनवाकर टेंडर खोलने से पूर्व कार्यालय जिला पंचायत, मेरठ में जमा करेंगे बैंक ड्राफ्ट किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का होना चाहिये। कार्य का विवरण इस प्रकार है—

क्र० स०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	टेंडर फार्म का मूल्य	वाणिज्य कर	समय अवधि
1	कावडं मार्ग पर प्रकाश व्यवस्था कार्य किराये पर	258000	5200	200	30	10दिन
2	ग्राम भराला में अवशेष लेपन कार्य	1000000	20000	300	45	3माह
3	ग्राम खजूरी में इन्टरलॉकिंग टाईल्स कार्य	600000	12000	300	45	2माह

शर्तः—

- सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- कोई भी निविदा बिना कारण बताये निरस्त या स्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी जिला पंचायत, मेरठ में नीहित होगा।
- टेंडर स्वीकृति उपरान्त अनुबन्ध पूर्ण करने हेतु आदेश लेने की ठेकेदार की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी ओर अनुबन्ध तीन दिन के अन्दर पूर्ण करना होगा।
- उ०प्र०क्षेत्र पंचायत एंव जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1985 के समस्त नियम मान्य होंगे।
- टेंडर स्वीकृति उपरान्त ठेकेदार को 10 प्रतिशत अस्थाई जमानत अनुबन्ध के समय देनी अनिवार्य होगी।


(इरशाद अहमद अंसारी)
अभियन्ता
जिला पंचायत, मेरठ।


(डा० नूतन शर्मा)
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, मेरठ।

कार्यालय जिला पंचायत, मेरठ।


पत्रांक— 2987/वि०


दिनांक— 27/7

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- आयुक्त महोदय मेरठ मण्डल मेरठ, जिला जज, मुख्य विकास अधिकारी, समस्त तहसीलदार जनपद मेरठ व समस्त विकास खण्ड अधिकारी जनपद मेरठ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
- मा० अध्यक्ष महोदय जिला पंचायत, मेरठ।
- जिलाधिकारी, मेरठ।
- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) मेरठ को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त टेंडर सूचना को जनपद मेरठ की वैबसाईट <http://meerut.nic.in> पर अंकित कराने का कष्ट करे।
- अधिशारी अभियन्ता ग्रा०अभि०सेवा विभाग, लो०नि०वि० प्रान्तीय खण्ड, पी०एम०जी०एस०वाई० मेरठ को इस आशयके साथ कि उपरोक्त वर्णित कार्य का अपने विभाग के कार्य से मिलान कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
- वित्तीय परामर्श दाता जिला पंचायत, मेरठ को उक्त दिनांक को भाग लेने हेतु।
- सम्पादक अमर उजाला मेरठ को इस आदेश के साथ कि उपरोक्त सूचना को अपने समाचार पत्र के आगामी अंक में केवल एकबार कम से कम स्थान में प्रकाशित कराकर बिल भुगतान की दो प्रतियां इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करे।
- जिला पंचायत मेरठ के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों को सूचनार्थ।

1126
Dio.Nic
ए० आ० मा० कार०


अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
मेरठ।
21/7/14


अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, मेरठ।